POPULATION FOUNDATION OF INDIA
Secretariat
Advisory Group on Community Action

रोगी कल्याण समिति से संबंधित

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संदर्भ

इस पुस्तिका को एडवायज़री ग्रुप आन कम्युनिटी एक्शन सेक्रेटेरिएट, पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से वर्ष 2016-19 में किए गए रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के कार्यों व अनुभवों के आधार पर तैयार किया है।

इस पुस्तिका का सभी लाभ उठा सकते हैं। उपयोग हेतु इसकी प्रतियां बनाने से पहले एडवायज़री ग्रुप आन कम्युनिटी एक्शन सेक्रेटेरिएट (ए. जी. सी. ए.), पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अवश्य सूचित करें तथा प्रतियों में श्रेय दें।

जनवरी 2020

विषय सूची

रोगी कल्याण समिति का रूप 04

रोगी कल्याण समिति के गठन में औपचारिकताएं 06

रोगी कल्याण समिति में वित्त प्रबंध 08

रोगी कल्याण समिति की बैठकें 10

1. रोगी कल्याण समिति के उददेश्य क्या हैं?

- समुचित चिकित्सकीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के न्यूनतम मानकों तथा उपचार के निर्धारित मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जन सामान्य के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के उत्तरदायित्व निर्धारित करना।
- पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन करना।
- चिकित्सा इकाई पर नागरिक अधिकार प्रत्र का प्रदर्शन तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया के माध्यम से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय संचालन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।

2. रोगी कल्याण समिति के मुख्य कार्य क्या हैं?

- रोगियों एवं उनके तीमारदारों/सम्बन्धियों के रहने, खाने, साफ पीने के पानी आदि की व्यवस्था में सुधार करना।
- चिकित्सालय भवन, वाहनों एवं चिकित्सालय में उपलब्ध उपकरणों के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- चिकित्सालय के नैत्यिक प्रबन्धन हेतु वातावरण अनुकूल एवं चिरस्थायी व्यवस्था अपनाया जाना।
- राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अथवा परामर्श के अनुसार चिकित्सालय भवन का विस्तारीकरण करना।

3. रोगी कल्याण समिति की संरचना किस प्रकार है?

(अ) - जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति की संरचना -

क्रसं	समिति का नाम	अध्यक्ष	सचिव	बैठक अंतराल
1	शासी निकाय	जिलाधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका	प्रत्येक 3 माह पर
2	कार्यकारी समिति	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका	चिकित्सा अधिकारी	प्रत्येक माह पर
3	अनुश्रवण समिति	मेयर/अध्यक्ष नगरपालिका/ अध्यक्ष जिला परिषद		प्रत्येक 2 माह पर

(ब) - उप जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति की संरचना-

क्रमसं	समिति का नाम	अध्यक्ष	सह अध्यक्ष	सचिव	बैठक अंतराल
1	शासी निकाय	उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट/ब्लाक विकास अधिकारी, पंचायत समिति	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ समकक्ष	चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी अथवा अधीक्षक द्वारा नमित चिकित्साधिकारी	प्रत्येक 3 माह पर
2	कार्यकारी समिति	चिकित्सालय के अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी		चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी अथवा अधीक्षक द्वारा नमित चिकित्साधिकारी	प्रत्येक माह पर
3	अनुश्रवण समिति	पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि		अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्साधिकारी	प्रत्येक 2 माह पर

4. रोगी कल्याण समिति में HEO, BPM, BCPM एवं Hospital Manager की क्या भूमिका है?

रोगी कल्याण समिति में उपरोक्त पदधारक सदस्य नहीं है। चिकित्सालय के प्रभारी/ अधीक्षक, जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं, अपने विवेकानुसार उक्त कार्मिकों की भूमिका का निर्धारण रोगी कल्याण समिति के द्वारा संपादित की जा रही गतिविधियों में कर सकते हैं।

HEO - Health Education Officer
BPM - Block Programme Manager
BCPM - Block Community Processes Manager

कार्य व ज़िम्मेदारियाँ

स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और उन्हें बेहतर बनाना

निःशुल्क दवा, भोजन और जांचें उपलब्ध कराना

स्वच्छता एवं साफ़ पानी का प्रावधान कराना

अस्पताल में सुधार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना

योजना बनाना एवं अनुमोदित धन राशि का उपयोग करना

गरीब और जरूरतमंदों को चिकित्सा संबंधी खर्चों से बचाना

★★☆
मरीजों के सुझावों व शिकायतों पर कार्यवाही

बैठकों का अभिलेखिकरण एवं समयानुसार ऑडिट कराना

5. रोगी कल्याण समिति की पंजीयन/नवीनीकरण प्रक्रिया क्या है?

- रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्मस, सोसाइटीज एंड चिट्स, उ0प्र0 की धारा 1860 के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
- पंजीकरण/ नवीनीकरण का निर्धारित शुल्क देय है।
- नवीनीकरण की प्रक्रिया वैधता तिथि समाप्त होने के 6 माह पूर्व से आरम्भ की जानी चाहिए।
- नवीनीकरण के हेतु समितियों की वर्षवार पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची, वार्षिक प्रगति आख्या एवं प्रत्येक वर्ष की सी.ए. आडिट रिर्पोट, हलफनामा और पूर्व निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध करानी होती है।
- समिति के पंजीयन की वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कराने पर विलम्ब शुल्क के रूप प्रथम माह में रु0.100 उसके पश्चात रु0. 50 प्रति माह की दर से देय होता।

6. रोगी कल्याण समिति की रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने के पश्चात क्या समिति की धनराशि का उपयोग कर सकते हैं?

क्रियाशील रोगी कल्याण समिति के द्वारा ही धनराशि व्यय की जा सकती है।

7. रोगी कल्याण समिति के वित्तीय स्त्रोत क्या हैं?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्गत आर.के.एस. अनटाइड फण्ड
- चिकित्सालय से प्राप्त यूजर चार्जेस
- चिकित्सालय को मिली अवार्ड मनी (दिशा निर्देशानुसार)
- समिति के खाते में जमा धनराशि पर प्राप्त ब्याज धनराशि।
- व्यक्ति, समूह से प्राप्त चंदा/अनुदान।
- परिसम्पत्तियों निपटान से प्राप्त धनराशि।
- अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि आदि।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से रोगी कल्याण समिति को कब और कितना अनटाइड फण्ड मिलता है?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत -

- जिला स्तरीय चिकित्सालय को प्रतिवर्ष रु0 10 लाख जिसमें प्रथम किश्त के रूप में रु0 5 लाख रूपया एवं शेष धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में चिकित्सालय द्वारा विगत वर्ष में प्रदान की गयी सेवाओं के आधार पर (Differential Financing) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।
- सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय को प्रतिवर्ष रु0 5 लाख जिसमें प्रथम किश्त के रूप में रु0 2.5 लाख रूपया एवं शेष धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में चिकित्सालय द्वारा विगत वर्ष में प्रदान की गयी सेवाओं के आधार पर (Differential Financing) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रतिवर्ष रु0 1 लाख 75 हजार जिसमें प्रथम किश्त के रूप में रु0 87.5 हजार रूपया एवं शेष धनराशि (Differential Financing) के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

9. आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि किस खाते में जमा होगी और इसका उपयोग कैसे किया जायेगा?

सामान्यतया आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जाती है। जिसे राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुरुप ही व्यय किया जानी चाहिए।

10. रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति के कार्य अनुमोदन के बगैर आर0के0एस0 खाते में उपलब्ध धन राशि का उपयोग क्या चिकित्सा प्रभारी द्वारा किया जा सकता है?

जनपद स्तरीय रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा रू0 एक लाख तक तथा सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा रू0 पच्चास हजार तक, अति आवश्यक कार्यों के लिए बिना कार्यकारी समिति की पूर्व स्वीकृति के, राजकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जा सकता है परन्तु कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में व्यय की गई धनराशि पर कार्यकारी समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

11. रोगी कल्याण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि से मुख्यरूप से कौन से कार्य करवाये जा सकते हैं?

समिति चिकित्सालय में रोगियों के हितार्थ, चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार कराने हेतु किये जाने वाले कार्य किये जा सकते हैं। **लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कराये जा रहे कार्यों/मदों हेतु अलग से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि प्रावधानित न हो।**

12. क्या रोगी कल्याण समिति का सी0ए0 वार्षिक आडिट करवाना जरूरी होता है?

समिति की गाइडलाइन के अनुसार, प्रत्येक समिति का प्रतिवर्ष वार्षिक आडिट किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेट (सी.ए.) द्वारा कराया जाना अनिवार्य है।

13. रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत चिकित्सकीय सुविधाओं में सुधार लाने हेतु क्या कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है?

रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय द्वारा नियमित, स्थायी नियुक्तियाँ नहीं की जा सकती हैं परन्तु समिति द्वारा विशेषज्ञों, मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ एवं सलाहकारों से नियमानुसार (Contract) करार कर सकती हैं।

14. रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजन की निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

- शासी निकाय की बैठक की सूचना का पत्र समय, दिनांक, स्थान व बैठक एजेण्डा सहित निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व तथा कार्यकारी समिति हेतु 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को निर्गत किया जाना चाहिए।
- एक तिहायी सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है।

15. क्या रोगी कल्याण समिति की बैठकों की कार्यवृत्ति किसी अन्य रजिस्टर पर लिख सकते हैं?

रोगी कल्याण समिति की समितियों की बैठक की कार्यवृत्ति केवल निर्धारित रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए।

16. रोगी कल्याण समिति में फण्ड/पैसा नहीं है तो क्या समिति की बैठकें की जानी चाहिए?

रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत गठित विभिन्न उपसमितियों की बैठकें नियत अन्तराल पर आयोजित किया जाना है।

17. रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की बैठक में क्या सांसद/विधायक को बुलाना जरूरी है?

रोगी कल्याण समिति की दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्थानीय सांसद/विधायक को रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय और अनुश्रवण समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाना प्रावधानित है।

18. रोगी कल्याण समिति में दूसरे विभागों की क्या भूमिका है?

समिति में अन्य सहयोगी विभागों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिससे चिकित्सालय संचालन में आवश्यक सहयोग प्राप्त होता है। जैसे-

- नगर निगम/नगर पंचायत चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा, अतिक्रमण, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन करने में सहयोग कर सकते हैं।
- समिति के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद कर सकते हैं।

19. अगर रोगी कल्याण समिति की समितियों की बैठकें तय समय पर न हो पाये तो क्या करें?

कोशिश होनी चाहिए कि समिति की तीनों समितियों की बैठकें नियमित हों परन्तु यदि किसी कारणवश बैठकें निर्धारित समय में न हो पाये तो अगली बैठक प्रत्येक दशा में निश्चित समय पर ही हों।

20. क्या रोगी कल्याण समिति के रजिस्टर पर बैठकों की कार्यवाही का विवरण हाथ से लिखा जाना जरूरी है?

हाँ, क्योंकि समिति के रजिस्टर में ही बैठकों का विवरण निर्धारित कॉलम/पेज पर अलग-अलग लिखा जाना हैं। इसलिए इसे हाथ से ही लिखा जाना चाहिए।

21. क्या रोगी कल्याण समिति का पुराना रजिस्टर जिसमें पृष्ठ खाली बच गये का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है?

हाँ। रजिस्टर के बचे हुये पृष्ठों को अगले वित्तीय वर्ष में प्रयोग कर सकते हैं।

22. रोगी कल्याण समिति की बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि, अनुपालन आख्या एवं नवीन प्रस्ताव रजिस्टर में कैसे लिखा जाना चाहिए?

1. **कार्यवाही की पुष्टि** - कार्यवाही की पुष्टि में गत बैठक में लिये गये निर्णयों को बिन्दुवार सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाता है तथा उन बिन्दुओं से सभी सदस्यों का सहमत होना कार्यवाही की पुष्टि है।
2. **अनुपालन आख्या** - अनुपालन आख्या में गत बैठक में पारित प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही से सभी सदस्यों को अवगत कराया जाता है। पूर्ण कराये गये एवं अन्य अवशेष कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
3. **नवीन प्रस्ताव** - बैठक के अंतिम चरण में सदस्य सचिव/सदस्य द्वारा अगले माह चिकित्सालय में कौन कौन कार्य/गतिविधियाँ कराये जाने की योजना हैं इसी योजना को ही क्रमशः बिन्दुवार कार्य व उसमें व्यय होने वाली अनुमानित धनराशि सहित नवीन प्रस्ताव के रुप में समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये जिस पर बैठक में उपस्थित सदस्य चर्चा कर आपसी सहमति से उक्त प्रस्तावों पर अपनी कार्य अनुमोदन प्रदान कर सकें। नवीन प्रस्ताव कुछ इस तरह से लिखे जा सकते हैं जैसे-
   - **अ.** सबसे पहले पिछले माह की कार्योत्तर स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लिखें।
   - **ब.** पिछले माह के छुटे हुये प्रस्तावों को अग्रसर कर नवीन प्रस्ताव के रुप में लिखें।
   - **स.** फिर अन्य नये प्रस्तावों को क्रमशः बिन्दुवार कार्य व उसमें व्यय होने वाली अनुमानित धनराशि सहित लिखें।

नोट्स

नोट्स

POPULATION FOUNDATION OF INDIA

Secretariat
Advisory Group on Community Action

B-28, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110016
T: +91 11 43894 100; +91 11 43894 199
www.nrhmcommunityaction.org | www.populationfoundation.in